



कार्यालय जिला दण्डाधिकारी जिला धार (म. प्र.)

☎ (Off) 07292-234702, (Resi) 07292-234701, (Fax) 07292-234711

Email - dmdhar@mp.nic.in

क्र. 4626/SW/2021

--: संशोधित आदेश :-

धार, दि. 24/04/2021

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत)


कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4622-23/एस.डब्ल्यू./2021 धार, दिनांक 24/04/2021 द्वारा धार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में "कोरोना कर्फ्यू" दिनांक 30/04/2021 प्रातः 06:00 बजे तक दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

2- उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

धार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में "कोरोना कर्फ्यू" की अवधि निर्बाध रूप से दिनांक 03/05/2021 प्रातः 06:00 बजे तक बढ़ाई जाती है।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/4532-33/एस.डब्ल्यू./2021 धार, दिनांक 16/04/2021, आदेश क्रमांक/4575-76/एस.डब्ल्यू./2021 धार, दिनांक 20/04/2021 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/4577-78/एस.डब्ल्यू./2021 धार, दिनांक 20/04/2021 से जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शेष शर्तें/दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।


यह आदेश आज दिनांक 24/04/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।


(आलोक कुमार सिंह)
जिला दण्डाधिकारी
जिला धार (म.प्र.)
धार, दिनांक 24/04/2021

पू.क्रमांक/4627/एस.डब्ल्यू./2021

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर प्रेषित।
 2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर की ओर सादर प्रेषित।
 3. पुलिस अधीक्षक, जिला धार।
 4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धार।
 5. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला धार।
 6. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी.....जिला धार।
 7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार।
 8. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/नगर पुलिस अधीक्षक.....जिला धार।
 9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त).....जिला धार।
 10. तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी (समस्त).....जिला धार।
 11. मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर परिषद (समस्त).....जिला धार।
 12. थाना प्रभारी, पुलिस थाना (समस्त).....जिला धार।
 13. सहायक संचालक, जनसम्पर्क धार की ओर सूचनाार्थ।
 14. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम जिला धार।
- अनुक्रमांक 06 से 12 तक भेजकर लेख है कि आदेश का पर्याप्त प्रचार-प्रसार कराएँ एवं आदेश का कड़ाई से पालन कराया जावे तथा आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जावे।


जिला दण्डाधिकारी
जिला धार (म.प्र.)